संख्या- 1/2021/57/35-1-2021/एक्स-66

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0शासन।
2- समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3-नगर आयुक्त / उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण आदि एजेन्सीज़।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक : 22 जनवरी, 2021

विषय- प्रदेश के विभिन्न विभागों की अन्तर्विभागीय महत्वपूर्ण प्रकरणों को "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों आदि की अन्तर्विभागीय प्रकरणों का समयबद्ध तीव्र गति से निस्तारण करने के लिये वेब आधारित "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल पर अन्तर्विभागीय समन्वय मॉड्यूल प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित विभाग परस्पर ऑनलाइन अपने विचाराधीन / अनिर्णित विषयों का समाधान कर सकेंगे। इस पोर्टल का सम्पूर्ण विवरण http://esamiksha.gov.in/up पर उपलब्ध है। उक्त के साथ-साथ शासनादेश संख्या- 216/35-1-2016-एक्स-02/पी0पी0डी0/2016 दिनाँक 14 जून, 2017 द्वारा जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट / योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु एवं जनपद / विभाग की समस्याओं का समयबद्ध तीव्र गति से निस्तारण के लिये वेब आधारित "उ0प्र0 ई समीक्षा" करने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। इस कार्य हेतु नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा।

उपर्युक्त के क्रम में "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल के माध्यम से निम्न बिन्दुओं का अनुपालन करना अपेक्षित हैः-

1- प्रशासकीय विभाग अपने से सम्बन्धित व्यवहरित ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों, जिन्हें पत्राचार / पत्रावली पर व्यवहरित किये हुए एक पक्ष से अधिक समय हो गया हो, को प्राथमिकता के आधार पर "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल पर अपलोड करेंगे। सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर करने के उपरान्त तत्सम्बन्धी आख्या पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।
2- सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल की पाक्षिक रूप से समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके विभाग से सम्बन्धित प्रकरण निश्चित समयावधि के उपरान्त लम्बित न रह पाये।
3- विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / नगर निगम आदि एजेन्सीज़ भी अपने प्रशासकीय विभागों के माध्यम से पूर्व व्यवहरित महत्वपूर्ण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर रेखांकित करते हुए सम्बन्धित विभाग को "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल पर अपलोड करेंगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा इन प्रकरणों का अधिकतम दो सप्ताह के अन्दर निस्तारण करने के उपरान्त तत्सम्बन्धी आख्या पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अपर मुख्य सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में समय सीमा के उपरान्त भी बचे हुए लम्बित प्रकरणों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी।

5- जिलाधिकारियों / मण्डलायुक्तों द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों से सम्बन्धित अधिकतम दो महत्वपूर्ण नीतिगत प्रकरणों, जो पूर्व में सम्बन्धित विभागों को सन्दर्भित किये गये हों, के निस्तारण हेतु "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6- एनआईसी, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य एकक द्वारा प्रत्येक विभाग के कार्मिकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण एवं वाँछित तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नियोजन विभाग द्वारा एनआईसी से समन्वय स्थापित कर सम्पादित किया जायेगा।

7- समस्त विभागों को आवश्यकतानुसार यूजर आई0डी0 एनआईसी द्वारा उनके ईमेल (nic.in) को बनाया जायेगा।

अतः प्रकरणों के निस्तारण में वांछित तकनीकी सहयोग हेतु जनपद स्तर के अधिकारी डी.आई.ओ. (एनआईसी) से तथा राज्य स्तर पर विभाग अपने-अपने विभाग के एनआईसी के अधिकारियों एवं एनआईसी, लखनऊ, उ0प्र0 राज्य एकक के नामित वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (ई-मेल- naveen.kapoor@nic.in, sio-up@nic.in) से सम्पर्क कर सकते हैं। नियोजन विभाग की ओर से पूर्व की भाँति निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग (ई-मेल- dirppd@nic.in) द्वारा विभिन्न प्रशासकीय विभागों एवं एनआईसी से समन्वय स्थापित कर "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या- 1/2021/57(1)/35-1-2021/एक्स-66 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफीसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4- औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग।
7- राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एनआईसी राज्य एकक, को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से प्रत्येक जनपद के डी0आई0ओ0 को जनपद स्तर पर पोर्टल के सफल संचालन हेतु वांछित सहयोग प्रदान करने के लिये।
8- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, कालाकांकर भवन, लखनऊ।
9- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2 ।
10- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान/अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग।
11- एस0आई0ओ0 / "उ0प्र0 ई समीक्षा" पोर्टल से सम्बन्धित वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in